न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री अनुराग भार्गव आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 33/2019/अपील/एल0आर0एक्ट/कोटा
दायरा दिनांक 4.4.2019
किस्म अपीलः धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. जसविन्दपाल सिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह
2. मनजीत सिंह उर्फ मनप्रीत कौर पुत्री राजेन्द्र सिंह
3. अंजलि पुत्र राजेन्द्र सिंह
4. बलजीत कौर पत्नी राजेन्द्र सिंह

अकवाम जाति सिक्ख निवासीगण ग्राम रामगंजमण्डी तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा।

..... अपीलार्थी

बनाम

1. हरबंस सिंह आत्मज स्व0 ज्ञानसिंह सलूजा जाति सिक्ख पार्टनर फर्म मैसर्स सलूजा एन्टर प्राईजेज रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलार्थी
श्री धनश्याम नागर अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम–1

:: निर्णय ::

दिनांक 25.11.2021

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (संक्षिप्त मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल नम्बर 3/2017 अपील बउनवान हरबंस सिंह बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा, मे पारित निर्णय दिनांक 17.1.2019 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

1 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि ग्राम हीरीयाखेडी की ख0 नं0 378 की 1.51 है0 के मामले मे खातेदार राजेन्द्र सिंह मृत्यु के कारण उसके वारिस पुत्र–पुत्री एंव पत्नी के नाम तस्दीक नामा0 सं0 415 दिनांक 20.12.11 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील निर्णय/आदेश दिनांक 17.1.2019 से निरस्त करने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि फौती नामा0 तस्दीक करने के मामले मे रेस्पो0 को सुनवाई का अवसर दिये जाने का कोई औचित्य नही है। ग्राम पंचायत द्वारा केवल मात्र फोंती नामान्तरकरण मृतक खातेदार राजेन्द्रसिंह के प्राकृतिक वारिसान पुत्र पुत्री पत्नी के नाम तस्दीक किया है इसमे कोई अवैधानिकता नही है। यदि रेस्पो0 उक्त आराजी मे कोई हक एंव अधिकार रखते है तो उन्हे सक्षम न्यायालय मे कार्यवाही करनी चाहिये। रेस्पो0 क्रम–1 के टाईटल का बिन्दू नामान्तरकरण की कार्यवाही मे तय नही किया जा सकता। हितबद्ध पक्षकार है या नही यह बिन्दू नियमित वाद की कार्यवाही तय हो सकता है। अपीलांट के पिता ने फर्म सलूजा एन्टरप्राईजेज के पार्टनर के मामले मे दिनांक 1.4.96 को अपनी भागीदारी समाप्त नही की दिनांक 1.4.96 के दस्तावेज पर फर्जी हस्ताक्षर है यदि दिनांक 1.4.96 को भागीदारी समाप्त हो जाती तो पिछले

21 वर्षो के अन्तराल मे रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा राजस्व रिकार्ड मे परिवर्तन नही कराना सन्देहास्पद है। वर्तमान मे जमीनों की कीमत बढ जाने से रेस्पो0 क्रम–1 ने जमीन के बारे मे अवैधानिक रूप से विवाद किया है। इस बिन्दू पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर जेरअपील निर्णय/आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। नामा0 सं0 415 के विरूद्ध अपील लगभग 6 वर्ष बाद पेश की गई थी जो अवधि बाधित थी अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दू पर गौर किये बिना निर्णय पारित कर कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी का निर्णय दिनांक 17.1.2019 निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत अपील प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि ग्राम पंचायत द्वारा फोंती नामान्तरकरण सं0 415 मृतक खातेदार राजेन्द्रसिंह के प्राकृतिक वारिसान पुत्र पुत्री पत्नी के नाम तस्दीक किया है इसमे कोई अवैधानिकता नही है। यदि रेस्पो0 उक्त आराजी मे कोई हक एंव अधिकार रखते है तो उन्हे सक्षम न्यायालय मे कार्यवाही करनी चाहिये। रेस्पो0 क्रम–1 के टाईटल का बिन्दू नामान्तरकरण की कार्यवाही मे तय नही किया जा सकता। हितबद्ध पक्षकार है या नही यह बिन्दू नियमित वाद की कार्यवाही तय हो सकता है। बहस मे यह भी प्रकट किया कि भागीदारी समाप्ती और पार्टर्नरशीप डीड मे हस्ताक्षर अलग–2 है। फौती नामा0 सं0 415 तस्दीक किया गया था उसमे कोई गलती नही थी। पार्टनरशीप डीड के आधार पर तहसीलदार क्या तय करेगा। रेस्पो0 को कोई आपत्ति है तो सक्षम न्यायालय मे दावा करना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने 6 वर्ष बाद प्रस्तुत अपील को मियाद के बिन्दू पर निर्णय पारित किये बिना ही स्वीकार करने मे त्रुटि की है अन्त मे आरआरटी 2018(2) पेज 1344 आरआरटी 2017(2) पेज 1356 आरआरटी 2012(1) पेज 374 आरआरडी 1988 पेज 311 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम–1 ने बहस मे प्रकट किया कि अपीलांट के पिता की फर्म सलूजा एन्टरप्राईजेज के पार्टनर के मामले मे दिनांक 1.4.96 को भागीदारी समाप्त होकर अलग हो जोने से प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का अब कोई हक व अधिकार नही रह जाता है। ऐसी स्थिति मे अपील आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

5 हमने पत्रवली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 क्रम–1 अभिभाषक सुनी जाकर बहस पर मनन किया तथा प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों का भली–भॉति अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार के अवलोकन से विवादित आराजी का नामा0 सं0 415 दिनांक 20.12.11 को ग्राम पंचायत हीरियाखेडी द्वारा इन्टर प्राईजेज पर्टनरशीप फर्म जरिये पार्टनर राजेन्द्रसिंह सलूजा पुत्र ज्ञानसिंह जाति पंजाबी के फौत होने के बाद राजेन्द्रसिंह के स्थान पर उसके वारिसान के नाम दर्ज किया गया था जिसे अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने नामा0 आदेश पारित करने से पूर्व फर्म के पक्ष को नही सुने जाने तथा फर्म की भूमि पर मृतक राजेन्द्रसिंह का एब्सोल्यूट राईट प्राप्त नही होने से ग्राम पंचायत द्वारा नांमा0 सं0 415 दिनांक 20.12.2011 दिया गया आदेश नेचुरल जस्टिस के सिद्धात के विपरीत होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रामगंजमण्डी को वादग्रस्त भूमि के संबध मे सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर तथा उन्हे साक्ष्य आदि का सम्यक अवसर देकर

पुनः नवीन. सिरें से निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया गया है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि इन्टर प्राईजेज पर्टनरशीप फर्म जरिये पार्टनर राजेन्द्रसिंह सलूजा का फौती नामा0 उसके वारिसान पुत्र पुत्री पत्नी के नाम तस्दीक किया गया था जिसमे कोई अवैधानिकता नही है। फर्म से भागीदारी समाप्ति और पार्टनरशीप डीड मे हस्ताक्षर अलग–2 है। रेस्पो0 क्रम–1 के टाईटल का बिन्दू नामान्तरकरण की कार्यवाही मे तय नही किया जा सकता। हितबद्ध पक्षकार है या नही यह बिन्दू नियमित वाद की कार्यवाही तय हो सकता है। इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 का तर्क है कि फर्म से राजेन्द्रसिंह सलूजा की भागीदारी समाप्त होकर अलग हो जाने से अपीलांट का वादग्रस्त आराजी से कोई सरोकार नही रहा है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। उपरोक्त तथ्यों एंव तर्को के अवलोकन उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने नामा0 सं0 415 दिनांक 20.12.2011 पारित करने से पूर्व फर्म के पक्ष को नही सुने जाने तथा फर्म की भूमि पर मृतक राजेन्द्रसिंह का एब्सोल्यूट राईट प्राप्त नही होने व आदेश नेचुरल जस्टिस के सिद्धात के विपरीत होने से अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार रामगंजमण्डी को प्रतिप्रेषित किया है जिसमे सभी पक्षों को पुनः सुनवाई व अपने साक्ष्य सबूत रखने का अवसर भी दिया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुकूल है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे प्रश्नगत अपील प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरआरटी 2018 (2) पेज 1344, आरआरटी 2017 (2) पेज 1356, आरआरटी 2012 (1) पेज 374, आरआरडी 1988 पेज 311 चस्पा नही होते है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का उक्त निर्णय न्यायोचित होने से इस न्यायालय को किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता/गुजाइंश नही है। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अनुराग भार्गव)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा